भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 741
दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन

741. श्री भजन लाल जाटवः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को पता है कि पंचायतें जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन करने से मना कर रही हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ग) क्या सरकार का इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई भर्ती योजना शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): जल राज्य का विषय है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल, केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसे देश भर की सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप और ग्रामीणों के बीच स्वामित्व की भावना उद्भूत करने के लिए, पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जेजेएम के तहत जल आपूर्ति प्रणालियों से संबंधित सभी निर्णयों में ग्राम स्तर की आयोजना और सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, ग्राम पंचायत या इसकी उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात् ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) या पानी समिति को गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करने का अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा, जेजेएम के अंतर्गत, किसी गांव में सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन का प्रावधान करने के बाद, योजना को लागू करने वाला विभाग ग्राम पंचायत को कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान करता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस पर 'हर घर जल' गांव के रूप में चिह्नित करता है। इसके बाद, ग्राम पंचायत अपनी ग्राम सभा बैठक में कार्य पूरा होने की रिपोर्ट को जोर से पढ़ते हुए, औपचारिक रूप से 'हर घर जल' गांव के रूप में स्वयं को प्रमाणित करते हुए प्रस्ताव पारित करती है। कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण-पत्र की प्रति, ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और ग्राम सभा को कैप्चर करने वाला एक छोटा वीडियो जेजेएम डैशबोर्ड पर दर्शाया जाता है और गांव को जेजेएम-आईएमआईएस में प्रमाणित चिह्नित किया जाता है। राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 02.12.2025 तक, 'हर घर जल' के रूप में संसूचित किए गए लगभग 2.68 लाख गांवों में से लगभग 1.76 लाख गांवों को संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित किया गया है।

इसके अलावा, स्थानीय ग्राम समुदाय को संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम बनाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) शुरू किया गया है ताकि उन्हें व्यापक कौशल प्रदान किया जा सके तथा "नल जल मित्र" के रूप में तैयार किया जा सके, जिससे वे योजना ऑपरेटरों के रूप में कार्य कर सकें तथा मामूली मरम्मत और रखरखाव करने में सक्षम बन सकें, जिसमें कुशल राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर आदि के रूप में कार्य करके उनके द्वारा अपने गांव में पाइपगत जलापूर्ति स्कीम (स्कीमों) का निवारक रखरखाव करना शामिल है।

*****